कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी अमरोहा वन प्रभाग, अमरोहा।

पत्रांक 3160 /14–1,दिनांक, अमरोहा, अप्रैल 19 2017

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक
मुरादाबाद वृत्त मुरादाबाद।

विषय :– जनपद अमरोहा में बदांयू–बिजनौर मार्ग (एन.एच–51) किमी0 113.100 की दांयी पटरी पर ग्राम निजामपुर शर्की खसरा संख्या–79, तहसील हसनपुर में एक रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0759 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं 08 बाधक वृक्षों को विदोहन हेतु अनुमति के संबंध में।

संदर्भ :– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक 1531/अमरोहा/19948/ 2016, दिनांक 20.01.2017, तथा

उपरोक्त विषयक मुख्य वन आपका पत्र संख्या 2527/22–2, दिनांक 09.03.2017,

महोदय

संरक्षक/नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक 1531/अमरोहा/19948/2016, दिनांक 20.01.2017 द्वारा अमरोहा–बदांयू–बिजनौर मार्ग (एस.एच.–51) किमी0 113.100 की दांयी पटरी पर ग्राम निजामपुर शर्की खसरा संख्या–79, तहसील हसनपुर में एस्सार आयल रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0759 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 08 बाधक वृक्षों के विदोहन की अनुमति हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर शासन के निर्देशानुसार शर्त संख्या 1 से 7 तक के अनुपालन के सम्बन्ध में सूचना मांगी गयी है।

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु, परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश दिनांक 11.07.2014 के शर्त संख्या 01 से 07 तक का अनुपालन किये जाने हेतु प्रयोक्ता ऐजन्सी मै0 एस्सार ऑयल लि0 द्वारा निम्न प्रकार बचन बद्वता प्रस्तुत की गयी है :–

शर्त संख्या–1 अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग अमरोहा का स्वीकृत मानचित्र प्रस्ताव में लगाया गया है।

शर्त संख्या–2 प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के आस पास दूसरा कोई रिटेल आउटलेट नहीं है।

शर्त संख्या–3 प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के मानचित्र में शौचालय प्रस्तावित है। भविष्य में रेस्ट एरिया काम्पलेक्स, पार्किंग, रेस्ट रूम एवं शाप आदि का निर्माण कराया जायेगा।

शर्त संख्या–4 प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के प्रवेश/निकास मार्ग का निर्माण भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार कराया जायेगा। तथा आवश्यकता अनुसार कम से कम पेड़ों का पातन किया जायेगा।

शर्त संख्या–5 प्रस्तावित रिटेल आउटलेट Suitable Sings and marking ऐसे स्थान पर लगायें जायेगें जिससे पटरी वृक्षारोपण को क्षति एवं बाधा उत्पन्न नहीं होगी।

शर्त संख्या–6 प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की चाहर दीवारी के साथ–साथ 1 से 1.50 मीटर की दूरी पर खाली पड़ी जगहों/स्थानों पर वृक्षारोपण किया जायेगा।

शर्त संख्या–7 प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण कराया जायेगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूरक वनीकरण के अतिरिक्त होगा।

प्रयोक्ता ऐजन्सी मै0 एस्सार ऑयल लि0 द्वारा प्रस्तुत बचन बद्वता पत्र की 04 प्रतियां मूल में पत्र के साथ संलग्न कर आपकी सेवा में प्रेषित की जा रही है। आपसे अनुरोध है कि उक्त पत्र अपनी संस्तुति सहित उच्च स्तर को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
अमरोहा वन प्रभाग
अमरोहा।